'ट्रांजिट कैंप में लोगों को जाना ही होगा'

डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी मांग की याचिका का निपटारा

नई दिल्ली (एसएनबी)। पुनर्वास नीति के तहत डीडीए द्वारा कठपुतली कालोनी के लोगों को विस्थापित करने की योजना पर हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों को ट्रांजिट कैंप में जाना ही होगा, लेकिन वहां जो भी कमियां हैं, उनको पूरा किया जाए। अदालत ने इस मामले में दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह भी कहा है कि कठपुतली कालोनी के लोगों की समस्याओं पर डीडीए और बिल्डर्स विचार करे और जरूरत के अनुसार बिल्डिंग ले-आउट प्लॉन में भी बदलाव किया जाए।

अदालत ने कहा कि वहां रह रहे लोगों में ज्यादातर लोग कलाकार हैं, इसके मद्देनजर वहां बनने वाले फ्लैटों में साझा जरूरतें जैसे कि पार्क व अन्य सुविधाओं को लेकर दिए गए सुझावों पर विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि जिन लोगों के नाम डीडीए द्वारा फ्लैट पाने वालों की सूची में नहीं हैं, वह सबूत दें जिसके बाद उनके नाम पर किया जाएगा विचार। जानकारी हो कि इस मामले में करीब 28 याचिकाकर्ताओं ने ट्रांजिट कैंप में जाने से इनकार करते हुए कहा था कि वर्ष 1950 से कठपुतली कालोनी में रह रहे हैं लेकिन अब पुर्नवास के नाम पर उनको वहां से हटा कर अन्य जगह पर भेजने की कार्रवाई डीडीए द्वारा की जा रही है। अतः इस पर रोक लगाई जाए। न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि लोगों को ट्रांजिट कैंप में जाना होगा लेकिन जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए याचिकाकर्ता राजी करेंगे। अदालत ने कहा कि जब डीडीए ने सर्वे किया था तो उनकी जरूरतों व मांगों पर अमल नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता एसोसिएशन अपनी मांग डीडीए के सामने दो हफ्तों में देगा। इसमें बिल्डिंग ले-आउट प्लॉन व साझा जरूरतों की योजना पर बदलाव की बाबत दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा और चार हफ्तों में उस पर फैसला किया जाएगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कठपुतली कालोनी के पांच लोग ट्रांजिट कैंप जाकर वहां की समस्याओं के बारे में डीडीए व बिल्डर्स को ज्ञापन देंगे, जिस पर विचार कर उन्हें पूरा किया जाएगा।

- कठपुतली कालोनी पुनर्वास मामला
- हाईकोर्ट ने दिया ट्रांजिट कैंप में जरूरतों को पूरा करने का निर्देश
- जिनके नाम डीडीए द्वारा फ्लैट पाने वालों में नहीं, वह सबूत दें, उन पर होगा विचार

अब तेज होगा कठपुतली कालोनी के पुनर्वास का काम

कठपुतली कालोनी के पुनर्वास का काम अब तेज होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद डीडीए के अधिकारियों ने पुनर्वास का काम तेज करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे अधिकारियों का तर्क है कि अब होली का पर्व बीत चुका है और सीबीएसई की परिक्षाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। डीडीए के मुताबिक अभी तक केवल 89 परिवार ही ट्रांजिट कैंप में पहुचे हैं। हालांकि करीब 315 लोक पर्ची कटवा चुके हैं। डीडीए के अधिकारियो का कहना है कि होली का पर्व व सीबीएसई की परीक्षाएं होने की वजह से पुनर्वास के काम में सख्ती नहीं बरती जा रही थी, लेकिन अब यह काम तेज किया जाएगा। सीबीएसई की परोक्षाओं तक कालोनी के लोगों ने भी पुनर्वास का काम रोकने का आग्रह किया था। दरअसल पुनर्वास योजना का विरोध कर रहे परिवारों को उम्मीद थी कि न्यायालय उनके आग्रह पर योजना पर रोक लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे एक बात तो तय है कि पुनर्वास योजना का काम चलता रहेगा। इसके साथ ही रहेजा डेवलपर्स के पदाधिकारियों ने भी दावा किया है कि ट्रांजिट कैंप में सुविधाओं को और दुरुस्त किया जाएगा।